बूथ लेवल आफिसर

ई-पत्रिका

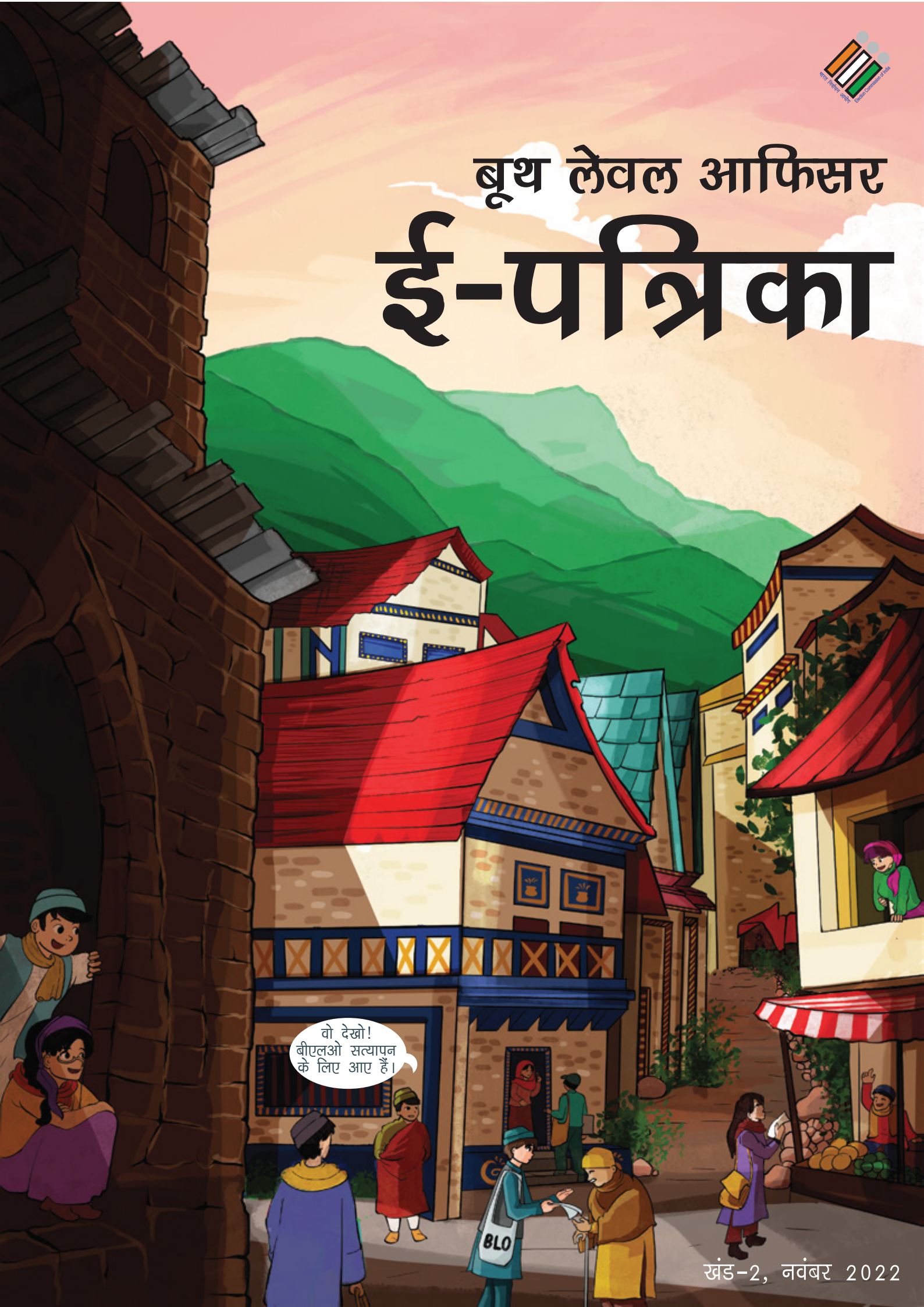

खंड-2, नवंबर 2022

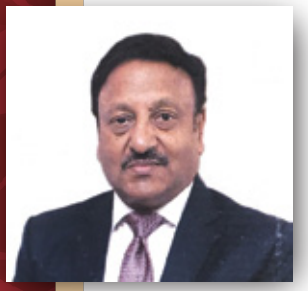

संदेश

श्री राजीव कुमार,
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

“ कमीशन के रूप में आप साकार हैं,
कमीशन का आप व्यवहार हैं।
आप कमीशन के दृष्टि और स्वर भी हैं,
इसलिए आप सबको अत्यंत आभार है। ”

मतदाता के लिए बीएलओ का आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि इससे वह किसी भी सरकारी कर्मचारी के आचरण को समझता है। बीएलओ जमीनी स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए, उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे नागरिकों के साथ भरोसेमंद रिश्ता बनाएं।

(राजीव कुमार)

संदेश

श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय,
भारत के निर्वाचन आयुक्त

बीएलओ ई-पत्रिका का उद्देश्य प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि वे कार्यकुशल और अपने दृष्टिकोण में नवोन्मेषी बनें।

बूथ स्तर के हमारे इन कर्मचारियों की कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए एक त्रिसूत्री प्रतिमान, जिसे बीएलओ त्रिकोण के रूप में भी जाना जाता है, को ध्यान में रखा जा सकता है। इनमें से पहला प्रतिमान यह है कि बीएलओ कहां रहता है? दूसरा-बीएलओ कहां काम करता है? और तीसरा निर्वाचन कार्य के लिए बीएलओ को कौन सा क्षेत्र सौंपा गया है।

बूथ स्तर पर अधिकतम कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिए इन तीनों में संबंध स्थापित किया जाना चाहिए।

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)

संपादन समिति

एन.एन. बुटोलिया
वरि. प्रधान सचिव
(निर्वाचक नामावली)

अशोक कुमार
निदेशक (आई.टी.)

कुलदीप कुमार सहरावत निदेशक
(आईआईआईडीईएम-प्रशिक्षण)

एस. सुंदर राजन
निदेशक (ईवीएम)

दिपाली मासिरकर
निदेशक (निर्वाचन योजना)

संतोष अजमेरा
निदेशक (स्वीप)
सदस्य संयोजक

संपादन दल

आर.के. सिंह
समन्वयक स्वीप

अनुज चांडक
संयुक्त निदेशक (स्वीप)

नूपुर प्रवीण
कम्युनिकेशन कन्सल्टेंट

ईशा खान
ग्राफ़िक डिजाइनर

Click on the text to see the video.

बीएलओ ई-पत्रिका* के विमोचन कार्यक्रम की झलकियां

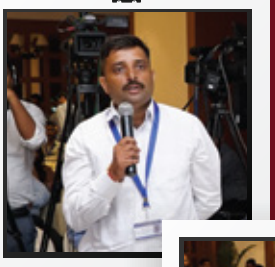

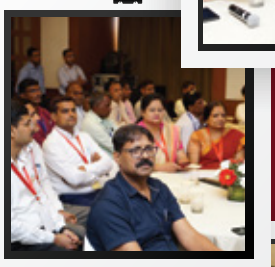
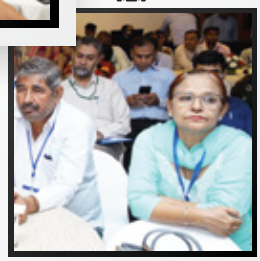
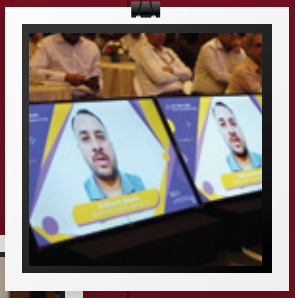

- 14 सितम्बर, 2022 को इंडिया हैबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित विमोचन कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 350 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली से 150 बीएलओ ने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर हिस्सा लिया।

- इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आयोग के यूट्यूब चौनल* पर किया गया और लगभग 10 लाख बीएलओ को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनके साथ साझा किया गया।

- इस कार्यक्रम के दौरान, आयोग के यूट्यूब चौनल से लगभग 25,000 नए सब्सक्राइबर जुड़े तथा लगभग 2.4 लाख लोगों ने इसे देखा।

- यह देश भर के बीएलओ के साथ आयोग द्वारा किया गया अपनी तरह का पहला सीधा संवाद था।

*Click on the text to see the video.

बूथ स्तर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यकलाप

चूंकि 25 जनवरी, 1950 को आयोग की स्थापना की गई थी, इसलिए इसके स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं, विशेष रूप से नए मतदाताओं को बढ़ावा देना और नामांकन की सुविधा प्रदान करना है।

बूथ लेवल अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की संक्षिप्त कार्य-सूची

1. मतदान केंद्र पर समारोह की योजना बनाना
2. प्रश्नोत्तरियों, और निबंध लेखन, वाद-विवाद, चित्रकारी, के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करना
3. एपिक कार्ड वितरित करना और ई-एपिक डाउनलोड करने में सहायता करना
4. एनवीडी शपथ दिलाना
5. नए पात्र मतदाताओं की पहचान करना और उन्हें नामांकित करना

बीएलओ से जुड़े तथ्य

- गुजरात में, नामावली में चिह्नित दिव्यांगजनों की संख्या 1.68 लाख (लोक सभा निर्वाचन 2019) से बढ़कर आज 4.04 लाख हो गई।
- बिहार में के.ए.पी. (ज्ञान, प्रवृत्ति एवं पद्धति) सर्वेक्षण में यह पाया गया कि नामांकन के लिए एक प्रमुख प्रेरक कारक बूथ लेवल अधिकारियों का आवेदकों के निवास-स्थान (57.8:) पर दौरा करना था
- अरुणाचल प्रदेश में, चुनाव प्रक्रिया को सभी के लिए सुगम बनाने के लिए सभी बीएलओ को संकेत भाषा में प्रशिक्षित किया गया था।

बूथ लेवल अधिकारियों के तत्काल स्मरण हेतु-

1. मौजूदा निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में सुधार करने, एपिक को बदलने और दिव्यांगजनों को चिह्नित करने के लिए प्ररूप-8 वितरित करना।
2. निर्वाचन क्षेत्र के भीतर स्थानांतरित मतदाताओं को निर्वाचक नामावली में शामिल करने के लिए प्ररूप-8 उपलब्ध करवाना।
3. निर्वाचक नामावली से मृतध्स्थानांतरितध्डुप्लीकेट मतदाताओं का नाम हटाने के लिए उनकी पहचान करना।
4. फील्ड सत्यापन करना और ईआरओध्एईआरओ को रिपोर्ट प्रस्तुत करना
5. मतदाता पर्ची वितरित करना और मतदान के दिन सहायता प्रदान करना।
6. गरुड़ ऐप के उपयोग को बढ़ाना।

मतदाताओं एवं बूथ लेवल अधिकारियों के बीच रिश्ते तभी मजबूत होंगे जब उनके बीच नियमित और लाभदायी संपर्क कायम हो सके।

पीडब्ल्यूडी ऐप २.० का शुभारंभ: दिव्यांग मतदाताओं को सशक्त बनाने का एक उपयोगी साधन –

- माननीय आयोग द्वारा 4 नवंबर, 2022 को पीडब्ल्यूडी ऐप 2.0 का शुभारंभ नए रूप-रंग, कलेवर, इंटरफेस और विशेषताओं के साथ किया गया। पीडब्ल्यूडी ऐप 2.0 का प्रमुख ध्येय दिव्यांगजनों के लिए सहज अभिगम्यता सुनिश्चित करना है।
- यह मोबाइल ऐप विशेष रूप से दृष्टिबाधा, श्रवण बाधा और अन्य निःशक्तताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
- दिव्यांगजन उपयोगकर्ता इस ऐप का उपयोग करके अपने नाम एवं अपने मतदाता पहचान विवरणों की खोज कर सकते हैं।
- यह एप्लीकेशन अपेक्षित सहायता का अनुरोध करने के लिए स्वयं को दिव्यांगजन के रूप में चिह्नित करवाने की सुविधा भी प्रदान करता है।
- यह एप्लीकेशन एंड्रायड एवं आईओएस दोनों प्लेटफार्मो पर उपलब्ध है।

इसके नए संस्करण में ८ अतिरिक्त विशेषताएं जोड़ी गई हैं जैसे कि –

अपने अभ्यर्थी को जानें	बूथ लोकेटर	शिकायत निवारण सूचना	मतदान केंद्र पर सुविधाएं
बूथ पर सहायता के लिए अनुरोध	पिक एण्ड ड्राप के लिए अनुरोध	प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न	सुगम निर्वाचनों पर आडियो वीडियो

बीएलओ को दिव्यांग मतदाताओं को इस ऐप का उपयोग करने क लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-२०२३

बूथ लेवल अधिकारी के पास अपने आपको साबित करने का एक अवसर!

चालू वर्ष के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) 9 नवम्बर को शुरु हुआ और यह 8 दिसम्बर, 2022 तक जारी रहेगा।

यह नए मतदाताओं को जोड़ने और मृत/स्थानांतरित मतदाताओं को हटाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ताकि निर्वाचक नामावलियां सटीक एवं अद्यतन बन सकें। दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप या *nvsp.in* के माध्यम से आनलाइन आवेदन दिए जाने को तरजीह दी जानी चाहिए।

बीएलओ को गरूड़ ऐप का उपयोग करके नागरिकों को सभी निर्वाचन सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए।

मतदाता बनने के लिए, कोई भी व्यक्ति इस अवधि के दौरान नजदीकी बूथ पर बैठे बूथ लेवल अधिकारी को अपना आवेदन पत्र दे सकता है।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 (एसएसआर-23) 3 राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, गुजरात और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देश के सभी राज्यों में चल रहा है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 5 जनवरी 2023 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेंगे।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-२०२३ पर मतदाता जंक्शन का नया प्रोग्राम जरूर सुनें।

एस एस आर 2022-23 के उद्देश्य

1. नए पात्र बने मतदाताओं (01.01.2023 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु) का नामांकन और भावी मतदाताओं (02.01.2023 से 01.10.2023 के बीच 18 वर्ष) से अग्रिम आवेदन प्राप्त करना।
2. डीएसई/पीएसई को हटाया जाना
3. आधार अनुबंधन (ऐच्छिक), मोबाइल नं./फोटो का अद्यतनीकरण।
4. प्रविष्टियों को सुधारना/हटाया जाना।
5. युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए चार अर्हक तिथियों के बारे में लोगों को जानकारी देना।
6. सभी डुप्लीकेट, मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं को हटाकर निर्वाचक नामावली का शुद्धिकरण।
7. समावेशी निर्वाचनों की दिशा में एक कदम के रूप में युवा, महिला, समाज के उपेक्षित वर्गों, ट्रांसजेंडर समुदाय तथा दिव्यांगजनों (चिह्नित) सहित समाज के सभी वर्गों के पंजीकरण को बढ़ाना।

समावेशी निर्वाचनों की दिशा में एक कदम के रूप में युवा, महिला, समाज के उपेक्षित वर्गों, ट्रांसजेंडर समुदाय, बेघर मतदाताओं विशेषकर अतिसंवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) तथा दिव्यांगजनों (चिह्नित) सहित समाज के सभी वर्गों के पंजीकरण को बढ़ाना।

कर्म-क्षेत्रे

साहस, दृढ़ता और समर्पण की सच्ची कहानियाँ

मेघालय के विशेष बीएलओ

श्रवण बाधा से ग्रसित श्रीमती बैटिमोन नोंगस्टेंग दिव्यांगजनों के लिए राज्य की पहली विशेष बूथ लेवल अधिकारी बनीं। ये नोंगस्टेंग मास्सर गांव की निवासी हैं जहां सबसे अधिक संख्या में श्रवण बाधा से ग्रसित व्यक्ति रहते हैं। बूथ लेवल अधिकारी ने पूर्व खासी हिल्स जिले में पाइनुरसला निर्वाचन-क्षेत्र के अंतर्गत मास्सर के श्रवण बाधा से ग्रसित व्यक्तियों की बहुलता वाले मतदान केंद्रों के साथ समन्वय किया।

समय पर काम आए जो बीएलओ वही है सही अर्थों में बीएलओ

पंजाब

अमृतसर की दृष्टिबाधा से ग्रसित 28 वर्षीया नागरिक हेमा, साधारण निर्वाचन, 2019 से पहले अपने आपको मतदाता के रूप में नामांकित करवाना चाहती थीं। सुगम निर्वाचनों के लिए आयोग द्वारा किए गए व्यापक प्रचार-प्रसार और उस विषय पर स्वीप कार्यक्रम की पहल ने हेमा को टोल-फ्री नम्बर, 1950 पर कॉल करने के लिए प्रेरित किया। न केवल उन्हें सभी सूचना दी गई बल्कि फार्म-6 भरने में उनकी सहायता करने के लिए बूथ लेवल अधिकारी उनके घर पर भी गए। उन्हें अपना एपिक कार्ड समय पर प्राप्त हुआ और मतदान के दिन उन्हें पिक एण्ड ड्राप सुविधा भी दी गई।

समर्पण, प्रतिबद्धता एवं गौरव का वृत्तांत

हिमाचल प्रदेश

एक लक्ष्य – सभी के लिए सुगम्य निर्वाचन

ग्राम खेड़ा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) की स्थायी निवासी 80 वर्षीया वृद्ध महिला, श्रीमती अनिता देवी अपनी शारीरिक निःशक्तता के कारण बहुत कमजोर हो गई थीं। 51-नालागढ़ विधान सभा खण्ड के खेड़ादृनैनोवाल में जिस मतदान केंद्र में उन्हें अपना मत डालना था, वह उनके निवास-स्थान से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। मतदान के दिन अर्थात् 19 मई, 2019 को खेड़ा, नैनोवाल के बूथ लेवल अधिकारी को बताया गया कि महिला अपनी शारीरिक निःशक्तता और परिवहन का कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण अपने मताधिकार का प्रयोग करने में असमर्थता व्यक्त कर रही हैं। बीएलओ ने उत्प्रेरक का काम किया और इस मामले के बारे में तत्परतापूर्वक सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट-सह-सहायक रिटर्निंग अधिकारी, श्री प्रशांत देस्ता को बताया। यह जानकारी मिलने पर श्री देस्ता ने श्रीमती अनिता को प्रेरित करने और उन्हें मतदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए उनके निवास पर व्यक्तिगत रूप से जाने का निर्णय लिया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनकी सहायता की और उन्हें अपने वाहन में मतदान बूथ तक लेकर गए और उनके द्वारा वोट डालने के बाद वापस उन्हें घर भी छोड़ा।

बातों बातों में

बीएलओ के साथ बातचीत

मीनाक्षी खट्टर
(मतदान केंद्र १४७, वि. स. नि. क्षे ९- रोहिणी दिल्ली)

मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हूं। मेरे क्षेत्राधिकार में मतदाताओं की कुल संख्या 715 है। इनमें से, 590 मतदाताओं ने आयोग के निर्देशानुसार अपने एपिक का आधार के साथ अनुबंधन करा लिया है। इस बात पर विचार करके कि एपिक-आधार से अनुबंधन पूरी तरह से स्वैच्छिक है, जब मैंने नवीनतम निर्वाचन सुधार के बारे में मतदाताओं को बताना शुरू किया तो मुझे अनेक प्रकार की बातें सुननी पड़ी। कुछ मतदाता तो आसानी से मान गए और मेरे अनुरोध की प्रासंगिकता को समझ गए, पर कई ने इस विचार को नहीं माना।

इस हालत में, मैंने रेजीडेंट वेल्फेयर सोसायटी (आरडब्ल्यूएस) जैसे स्थानीय निकायों से सहायता ली और उनके अधिकारिक व्हाट्सएप समूह का हिस्सा बनने देने का अनुरोध किया। ऐसा करने से, मैं एक सिंगल क्लिक से सीधे मतदाताओं से एपिक-आधार अनुबंधन के संबंध में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा भेजी गई समस्त प्रासंगिक सूचना साझा कर पाई। मैंने हर किसी को यह स्पष्ट करना सुनिश्चित किया कि इस अनुबंधन से निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार के दोहरीकरण से बचा जा सकेगा और मतदाता सूची भी साफ-सुथरी बन सकेगी। मैंने अपनी सोसायटी में भी इस विषय से संबंधित पोस्टर और पर्चे लगाए। इसका मतदाताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने सभी बाधाओं को पार किया और मतदाताओं के प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दे पाई। इसके परिणामस्वरूप अच्छी-खासी संख्या में मतदाताओं ने अपने मतदाता पहचान-पत्रों का आधार से अनुबंधन करवाया।

जगदीश प्रसाद विश्नोई
(मतदान केंद्र ९१ वि. स. नि. क्षे १३९, बाड़मेर, राजस्थान)

मानव धर्म सबसे ऊपर घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने के दौरान बीएलओ ने हिरण को बचाया

स्कूल का समय समाप्त होने के बाद एक गर्म दुपहरी में, मैं एपिक-आधार अनुबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए फील्ड में घर-घर जाकर सर्वेक्षण कार्य कर रहा था। अचानक, मैंने रेत के टीले पर कुत्तों के एक झुंड को एक मादा हिरण और उसके शावक के पीछे दौड़ते देखा। हिरण बुरी तरह घायल हो चुकी थी जबकि हिरण का शावक बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। अत्यधिक खून बहने के कारण हिरण मौके पर ही मर गई लेकिन मैंने किसी तरह से हिरण के शावक को बचा लिया। मैं मृगशावक को निजी वाहन से अमृतादेवी वन्यजीव संरक्षण केंद्र ले गया और उसका समुचित उपचार करवाया। वन्यजीवों की रक्षा करना और खतरे में पड़े वन्य जीवों की जान बचाना हम सबका ध्येय होना चाहिए। मानव धर्म बाकी सभी चीजों से बढ़ कर है।

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

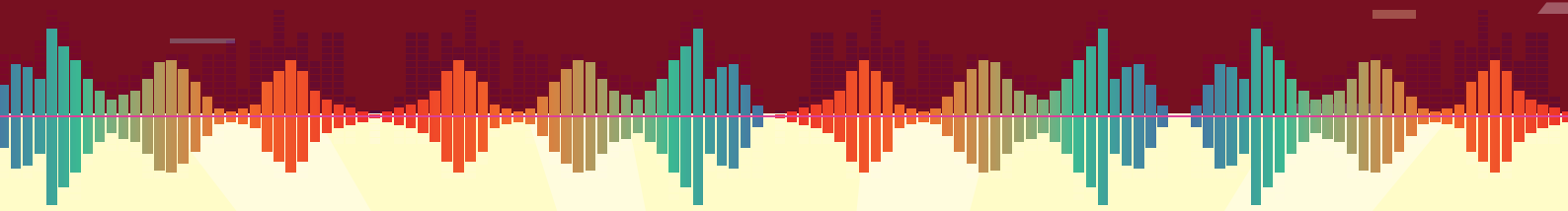

आकाशवाणी

मतदाता जंक्शन

हर वोटर का अपना स्टेशन

साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी में भाग लें और

आकर्षक पुरस्कार जीतें

प्रत्येक शुक्रवार को आकाशवाणी के
एफएम गोल्ड चौनल पर सायं ७.२५ बजे
एफएम रेनबो चौनल पर सायं ७.४५ बजे
विविध भारती चौनल पर सायं ८.४० बजे
सुनें